विवाद विहीन ग्राम योजना

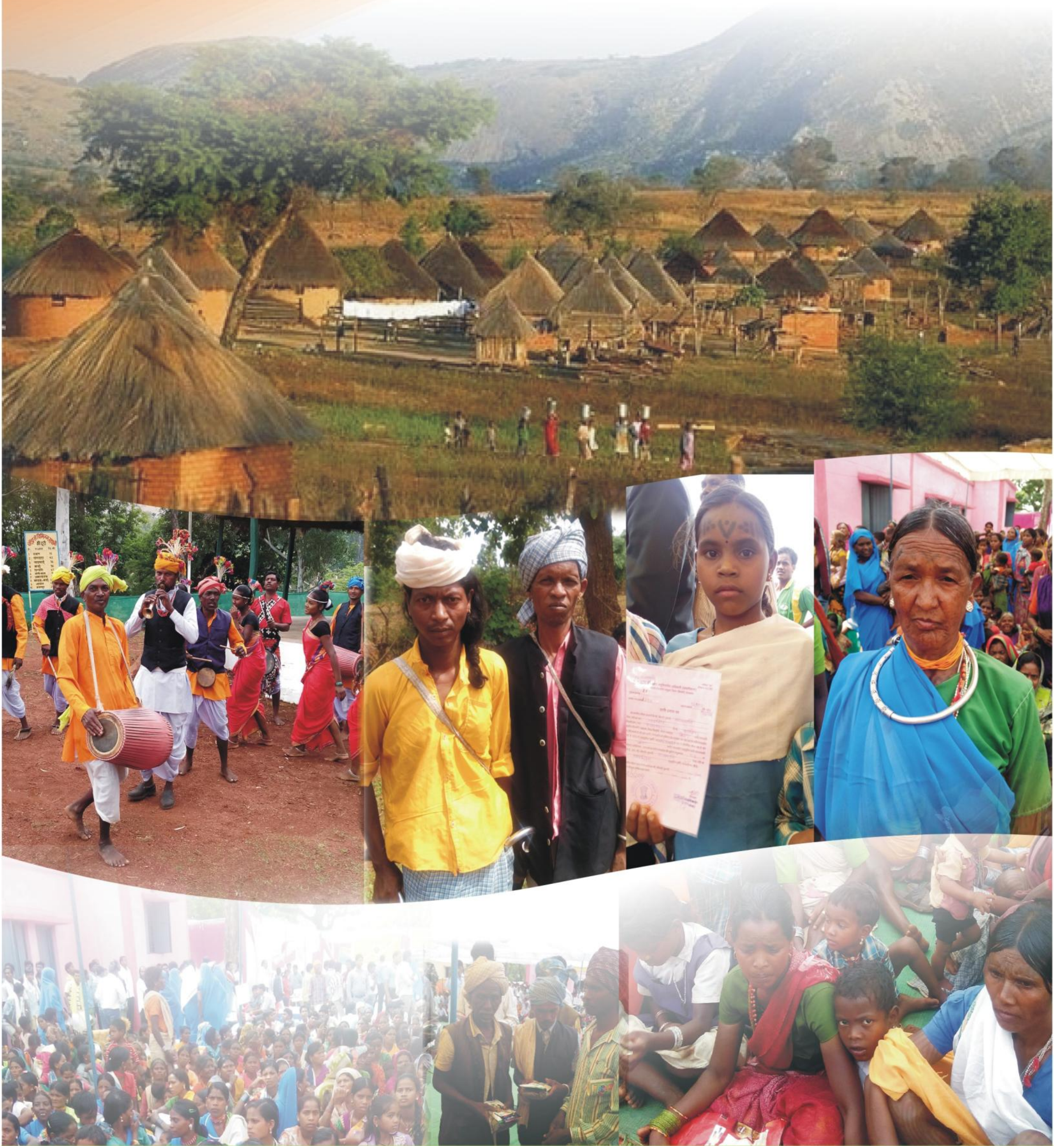

M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 Ph: 0761-2678352, 2624131 Toll Free No. 15100
website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in

''विषय सूची''

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
01	विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000	1—4
02	विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पायदान एवं लक्ष्य	5
03	दिनांक 17.10.2020 को चयनित विवाद विहीन ग्राम की सूची एवं इन ग्रामों के संबंध में दिए गए प्रमाण—पत्र	6—15
04	विवाद विहीन ग्राम योजना के तहत् पुरस्कृत प्रथम ग्राम झालौन। तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सरपंच को प्रदत्त की गई ट्रॉफी	16

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

विधिक ज्ञान ज्योति

संख्या - 3

विवाद विहीन ग्राम योजना 2000

लड़ने में कब मिला क्या, खोया ही कुछ न पाया,
लाखों की उजड़ी दुनियां, मन पे ही मैल छाया ।।
उस मैल के मलबे को, हर दिल से हटाना है,
हर गांव को अब, विवाद विहीन बनाना है ।।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

वर्ष 2000

निःशुल्क वितरण हेतु

"विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000"

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा 2 के खण्ड (क) तथा (ग) सहपठित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 4 (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एतद् द्वारा निम्नलिखित "विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000" विचरित करता है।

योजना

1. **संक्षिप्त नाम** : इस योजना का नाम "विवाद विहीन ग्राम योजना 2000" है।

2. **परिभाषा**

(1) **विवाद विहीन ग्राम** :- विवाद विहीन ग्राम से अभिप्रेत ऐसे ग्राम से हैं जिसमें उस ग्राम में निवास कर रहे समस्त व्यक्तियों में या कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों का कोई विवाद न हो और यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ-बूझ सुझाव-बुझाव व समझौते द्वारा न्यायालय में जाने के पूर्व ही निपटा लिया गया हो और यदि न्यायालय में पहुंच गया हो और विचाराधीन हो तो लोक अदालत के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटा लिया जाय और ऐसे लोगों का कोई विवाद न रहे।

(2) **विधिक स्वयं सेवी सेवादल** :- विधिक स्वयं सेवी दल से अभिप्रेत चयनित ग्राम के लिए तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा गठित ग्राम स्तरीय विधिक स्वयं सेवी दल से है, जिसमें ऐसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, उत्साही व प्रभावशीली व्यक्ति हो स्वेच्छापूर्वक ग्राम के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवादों या अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए अपना योगदान के लिए सहमत व तत्पर हों और इस प्रक्रिया में तथा विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में समुचित सहयोग दें।

3. **उद्देश्य**

(1) प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत चयनित ग्राम में निवास कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवादों को ग्राम को विवाद विहीन बनाने के लिए आपसी सूझ-बूझ सुझाव बुझाव व समझौता द्वारा निपटाना व उनकी विधिक समस्याओं का निराकरण कराना और विधिक सहायता प्रदान कराना तथा ऐसे ग्रामों के द्वारा अन्य ग्रामों को विवाद रहित ग्राम बनाने के लिए साक्षरता शिविर द्वारा प्रेरित करना।

(2) समय-समय पर लोगों को साक्षरता शिविरों के माध्यम से उत्साहित व प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित करना और उसमें वहां की ग्राम पंचायत व वहां के स्थानीय शिक्षकों, विधायकों और सांसद (यदि हों) आदि को भी सम्बद्ध करना।

(3) ग्रामवासियों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्य में आने वाली विधिक प्रक्रिया की जानकारी कराना व विधिक सेवा व विधिक सहायता संबंधी प्रकाशन का समुचित प्रचार-प्रसार कराना और लोगों को अच्छे नागरिक बनने के लिये उनके मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों की जानकारी देकर प्रेरित करना।

(4) शासन द्वारा ग्रामवासियों के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी विवादों को निपटाने

की योजनाओं का भी शासन की क्रियान्वित योजनाओं से जुड़कर जानकारी दिलाना व उनसे उन्हें लाभान्वित कराने में योग सहयोग देना।

(5) ग्राम विधिक साक्षरता अभियान में योगदान देना।

4. विधिक स्वयंसेवी सेवादल का गठन :

(1) अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति चयनित ग्राम के विधिक स्वयं सेवी सेवादल का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से करेंगे, व इसकी सूची राज्य प्राधिकरण को भेजेंगे।

(2) विधिक स्वयंसेवी सेवादल में साक्षरता कार्यक्रम का स्वयंसेवी कार्यकर्ता गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वन रक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्राम के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम सरकार के प्रतिनिधि व जिला विधिक सहायता अधिकारी सदस्य होंगे और इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम के दो प्रभावशाली, प्रतिष्ठित व शिक्षित स्वयंसेवी सम्मिलित होंगे जो स्वेच्छा व निष्ठा से योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने हेतु तत्पर हों।

(3) विधिक स्वयंसेवी सेवादल के स्वयंसेवी सदस्य तथा स्वयंसेवी कार्यकर्ता स्वेच्छा व सेवाभावना से बिना किसी पारिश्रमिक की इच्छा के सेवाभाव से कार्य करेंगे।

5. ग्राम का चयन :

(1) तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी) संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग से "विवाद विहीन ग्राम" घोषित करने के लिए किसी ऐसे ग्राम का चयन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्वीकृति से करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्ति निवास करते हों। ऐसे चयनित ग्राम की घोषणा इस योजना के आशय के लिए कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। कार्यपालक अध्यक्ष अपने भ्रमण के समय ऐसे ग्राम का चयन व घोषणा भी कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्राम का चयन प्रत्येक तहसील से किया जावेगा और ऐसे ग्रामों की चयन संख्या यथा स्थिति पर निर्भर करेगी।

6. योजना संबंधी कार्यवाही :

(1) जिला विधिक सहायता अधिकारी चयनित ग्राम के सरपंच एवं सचिव, पटवारी संबंधित ग्राम के थाना प्रभारी के सहयोग से विवादों की सूची तैयार कर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अ. अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सूची के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में अभी नही गये हैं उन्हें सेवादल के सहयोग से आपसी सूझबूझ, सुझाव बुझाव व समझौते के माध्यम से निपटवायेगा।

ब. ऐसे विवाद जो न्यायालय में पहुंच गये हैं और विचाराधीन हैं उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं स्वयंसेवी सेवादल के सहयोग से लोक अदालत/न्यायालय के माध्यम से जल्द निपटाया जायेगा।

7. नियंत्रण : विधिक स्वयंसेवी सेवादल, तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष (न्यायिक अधिकारी) के नियंत्रण तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के सहयोग में कार्य करेगा।

8. सूचना : विधिक स्वयंसेवी सेवादल की यह संतुष्टि हो जाने पर कि चयनित ग्राम में कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आर्थिक या अन्य निर्योग्यता धारक व्यक्तियों के विवाद समाप्त हो गये हैं व ग्राम विवाद विहीन हो गया है। इस आशय की सूचना तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जावेगी।

9. घोषणा : ग्राम के विवाद विहीन हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा संबंधित ग्राम को "विवाद विहीन ग्राम" घोषित किया जा सकेगा और अन्य ग्राम को इस योजना की परिधि में लाया जायेगा।

10. कठिनाई एवं निवारण : इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तथा आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे और उनका आदेश/ निर्णय अन्तिम होगा।

11. सहयोग : योजना की सफलता व क्रियान्वयन के लिए पूर्ण नियंत्रण व देखरेख कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगा और उन्हें जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जनपद पंचायत तथा ग्राम सरकार का पूर्ण सहयोग होगा व इस परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत व ग्राम सरकार को आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे।

इस योजना के क्रियान्वयन में जिला अधिकारियों व तहसील अधिकारियों का पूर्ण योग व सहयोग अपेक्षित होगा और स्वयंसेवी संगठन जैसे रोटरी क्लब, लायन्स क्लब आदि का सहयोग वांछनीय होगा।

12. अभिलेख : जिला विधिक सहायता अधिकारी विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने संबंधी रजिस्टर संधारित कर समस्त कार्यवाही का अभिलेख तहसील विधिक सेवा समिति में सुरक्षित रखेगा।

13. व्यय : विवाद विहीन ग्राम बनाये जाने के संबंध में होने वाले व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक साक्षरता शिविर हेतु आंबटित राशि का अंश होगा।

14. सम्मान : राज्य प्राधिकरण "विवाद विहीन ग्राम" के सरपंच संबंधित पंचायत पदाधिकारी, विधिक स्वयंसेवी सेवादल के सदस्यों को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदाय कर सम्मानित करेगा। तथा ऐसे सभी विवाद विहीन ग्राम की सूची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को भेजी जाकर उन्हें सम्मानित किया जावेगा।

आर.सी. चन्देल	**न्यायमूर्ति डी.पी.एस. चौहान**
सदस्य सचिव	कार्यपालक अध्यक्ष

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पायदान

- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2000 में बनाई गई इस योजना का लक्ष्य, प्रत्येक तहसील में कम से कम एक ग्राम घोषित किया जाए, जिसमें व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद विद्यमान न रहें।
- दिनांक 09 नवम्बर 2000 को विधिक सेवा दिवस पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा ग्राम झालौन को प्रथम विवाद विहीन ग्राम घोषित कर ग्राम पंचायत सालीबाड़ा को शील्ड प्रदत्त कर पुरस्कृत किया गया।
- दिनांक 08.04.2011 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा द्वारा ग्राम पताई पंचायत महमूदपुर तहसील मनगंवा, ग्राम बहेरा पंचायत हरदी खुर्द तहसील सिरमौर, ग्राम नकटा पंचायत डेल्ही तहसील सिरमौर को विवाद विहीन ग्राम घोषित कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शील्ड प्रदान की गई।
- विगत कुछ समय से यह योजना निष्क्रिय हो गई थी। अब इसका पुनरूत्थान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर से 05 विवाद विहीन ग्रामों को चयनित किया गया है।

हमारा लक्ष्य:- ***प्रतिवर्ष जिले की प्रत्येक तहसील में कम से कम दो विवाद विहीन ग्राम बनाना।***

''दिनांक 17.10.2020 को प्रदेश भर से चयनित किए गए 05 विवाद विहीन ग्राम''

क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	विवाद विहीन जिले/ग्राम/तहसील का नाम
1	छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	चारगांव पिंजारा
2	सिवनी	छपारा	बरबसपुर
3	जबलपुर	पाटन	बीजा
4	मण्डलेश्वर	कसरावद	कठोरा
5	झाबुआ	झाबुआ	मेलपाड़ा

// प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम–........ थाना–अमरवाड़ा, तहसील–अमरवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा में ग्रामवासियों के मध्य कोई सिविल अथवा आपराधिक विवाद लंबित नहीं है।

ग्रामवासियों के मध्यम कोई विवाद उत्पन्न होने पर समाज के पंचों द्वारा आपस में विवाद सुलझा दिया जाता है और आपस में विवाद न सुलझने पर लोक अदालत का भी सहारा लिया जाता है।

सचिव
ग्राम पंचायत..........
तहसील–अमरवाड़ा
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत..........
तहसील–अमरवाड़ा
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

थाना–अमरवाड़ा, तहसील–अमरवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

// प्रमाण पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम– पारगांव पिंजारा, थाना–अमरवाड़ा, तहसील–अमरवाड़ा, जिला–छिंदवाड़ा में ग्रामवासियों के मध्य कोई आपराधिक विवाद विवेचना स्तर पर अथवा न्यायालय स्तर पर लंबित नहीं है।

नगर निरीक्षक
थाना प्रभारी
थाना अमरवाड़ा
जि. छिन्दवाड़ा

थाना–अमरवाड़ा
जिला–छिंदवाड़ा (म.प्र.)

-::कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिवनी (म0प्र0) ::-
ई-मेलIDdlsaseoni87@gmail.com,मो.नंबर-07692-224900

कंमाक 415/जिविसेप्रा/2020 सिवनी, दिनांक:- 15/10/2020

प्रति,
माननीय सदस्य सचिव महोदय,
म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जबलपुर (म0प्र0)

विषय:- विवाद विहीन ग्राम योजना-2000 के संबंध में।
संदर्भ:- म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क.फा.नं.08/वि.वि.ग्रा.यो./राविसेप्रा/2525/2020 जबलपुर दिनांक

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि वर्ष 2000 में विवाद विहीन ग्राम के रूप में ग्राम झालौन, थाना धनौरा, जिला सिवनी का चयन किया गया था। दिनांक 09.11.2000 को ग्राम झालौन को विवाद विहीन ग्राम घोषित करने संबंधी कार्यकम मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में आयोजित आयोजित किया गया था, जिस कारण उक्त कार्यकम के फोटोग्राफ्स कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी एवं संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

प्रदान की गई शील्ड ग्राम झालौन के तत्कालीन सरपंच श्री सत्तार खान द्वारा प्राप्त किये जाने की जानकारी मिली है। श्री सत्तार खान का देहान्त होनें की जानकारी मिली है। उनके घर संपर्क करने पर पाया कि शील्ड उनके घर रखी हुई है, जिसकी फोटों संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। परिवार के पास शील्ड ग्रहण करते समय की 01 फोटो है, जिसकी फोटो संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

थाना प्रभारी थाना धनौरा, जिला सिवनी के पत्र क-धनौरा/1545/2020 दिनांक 15.10.2020 के अनुसार वर्तमान में ग्राम झालौन से संबंधित आपराधिक मामले लंबित है। जिस कारण अब वह विवाद मुक्त ग्राम नहीं है।

विवाद विहीन ग्राम योजना-2000 के संबंध में थाना प्रभारी छपारा एवं ग्राम पंचायत देवगांव जनपद पंचायत छपारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वर्तमान में ग्राम बरबसपुर, ग्राम पंचायत देवगांव, थाना/तहसील छपारा, जिला सिवनी पूर्णतः विवाद विहीन ग्राम है। जिसका चयन विवाद विहीन ग्राम के रूप में किया जाना उचित होगा।

अतः जानकारी श्रीमान् की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार संख्या-02

(चंद्र किशोर बारपेटे) 15/10/20
अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय सिवनी।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना छपारा जिला सिवनी म.'प्र.

क./था.प्र./छपा/1424/2020 दिनांक 15.10.2020

प्रति,

माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय,
सचिव जिला विधीक सेवा प्राधीकरन सिवनी।

विषय :– थाना छपारा क्षेत्र के अपराध विहीन ग्रामो की जानकारी के संबध मे।

महोदय जी,

निवेदन है कि विधीक सेवा प्राधीकरन के द्वारा थाना छपारा क्षेत्र के अपराध विहीन ग्रामो की जानकारी श्रीमान के द्वारा चाही गई है जो थाना छपारा के समस्त ग्रामो की अपराध पुस्तिका का अवलोकन किया गया जो ग्राम बरबसपुर मे विगत दो वर्षो से किसी प्रकार के अपराधीक प्रकरण दर्ज होना नही पाया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

वांछित जानकारी श्रीमान की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

थाना प्रभारी
थाना छपारा
जिला-सिवनी (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत देवगाँव जनपद पंचायत छपारा

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देवगाँव के ग्राम बरबसपुर थाना छपारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह ग्राम अपराध विहीन एवं शांतिप्रिय ग्राम है। इस ग्राम में कोई अपराधिक प्रकरण २ वर्षों से नहीं पाया गया।

प्रमाणिकरण जो सत्य है।

नोट :- कोई भी दीवानी फौजदारी अन्य किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं है।

मीनवती
सरपंच
ग्राम पंचायत देवगांव
जन पंचा.-छपार

M.NO
6261382185

सचिव
ग्राम पंचायत देवगांव
जन. पंचा. छपारा

मो.नं.- 831900210२

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (म.प्र.)
जिला न्यायालय परिसर

क्रमांक 539 / जिविसेप्रा / 2020 जबलपुर दिनांक 15 / 10 / 2020

प्रति,

मान्नीय सदस्य सचिव महोदय,
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर

विषयः–विवाद विहीन ग्राम योजना–2000 के संबंध में।
संदर्भ– म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का पत्र क.फा.नं.08 / वि.वि.ग्रा.यो. / राविसेप्रा / 2530 / 2020 जबलपुर दिनांक 15 / 10 / 2020

....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य प्राधिकरण द्वारा निम्न ग्रामो के संबंध में विवाद विहीन होने की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी चाही थी।

जिले का नाम	तहसील का नाम	विवाद विहीन जिला ग्राम / तहसील का नाम
जबलपुर	पाटन	बीजा
	पाटन	जुगतरैया
	जबलपुर	जमुनिया
	सिहोरा	बगधरी

उक्त के संबंध में तहसील विधिक सेवा समिति सिहोरा ,पाटन एवं थाना बरेला से जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें तहसील सिहोरा का पत्र क्र.1560 / 2020 के अनुसार ग्राम बगधरी में विवाद होना पाया गया है ,थाना प्रभारी थाना बरेला का पत्र क. 123 / 2020 के अनुसार ग्राम जमुनिया में विवाद होना पाया गया है एवं थाना प्रभारी थाना भेड़ाघाट का पत्र क. 440 / 2020 के अनुसार ग्राम जुगतरैया में विवाद होना पाया गया है तथा तहसील विधिक सेवा समिति पाटन का पत्र क.996 / 2020 में अध्यक्ष तालुक के माध्यम से अवगत कराया गया कि ग्राम बीजा पूर्णतः विवाद विहीन ग्राम है।

अतः ग्राम बीजा को विवाद विहीन ग्राम चयनित किया जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

मान्नीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित।

15/10/20

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर

"पंचायती राज अमर रहे"
"बेटी है तो कल है"

कार्यालय ग्राम पंचायत, बड़गाँव

जनपद पंचायत कसरावद (जिला-खरगोन) म.प्र.

क्रमांक /10/पंचा. दिनांक 15/10/2020

//प्रमाणीकरण//

यह प्रमाणित किया जाता है कि **"ग्राम कठोरा"** तहसील कसरावद जिला खरगोन में ग्राम वासियों के मध्य कोई विवाद नहीं है और न ही ग्राम कठोरा के ग्राम वासियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई दिवानी व फौजदारी मुकदमा थाने व अदालत में दर्ज है।

सचिव
सचिव
ग्राम पंचायत, बड़गाँव
जनपद पंचायत, कसरावद

सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत, बड़गाँव
जनपद पंचायत, कसरावद

/

||कार्यालय पुलिस थाना कसरावद जिला खरगोन म.प्र.||

क्रमांक क्यू /2020

दिनांक 15/10/2020

प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बडगांव के ग्राम कठोरा में वर्ष 2020 में कोई अपराधिक प्रकरण थाना कसरावद पर वर्तमान में लंबित नही है प्रमाणित किया सो सही ।

बीट प्रभारी के हस्ताक्षर

थाना प्रभारी

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

फोन:-07285-231338

कार्यालय ग्राम पंचायत गोला छोटी ग्राम मेलपाडा तहसील व जिला झाबुआ

क./पंचा/ज./2020/40 दिनांक 17/10/2020

–0–

यहा प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोला छोटी विकास खण्ड झाबुआ तहसील व जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के ग्राम मेलपाडा में ग्राम वसियों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नही है न ही किसी न्यायालय में में प्रकरण लंबित है। अक्त ग्राम मेलपाडा को विवाद विहीन घोषित करने हेतु जिला विविध सेवा प्राधिकरण झाबुआ को यहा प्रमाण पत्र सुपूर्द किया जाता है।

सचिव
ग्राम पंचायत गोला छोटी
ज.पं.व जि.झाबुआ (म.प्र.)
ग्राम (मेलपाडा)

प्रधान
प्रशासकीसय समिति गोलाछोटी
ग्राम - मेलपाडा
ग्राम पंचायत - गोलाछोटी

प्रथम विवाद विहीन ग्राम झालौन, जिला सिवनी को विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 के अंतर्गत पुरस्कार वितरण

तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री भवानी सिंह द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 के अंतर्गत सरपंच, ग्राम झालौन, जिला सिवनी को दिनांक 09.11.2000 को प्रथम विवाद विहीन ग्राम के लिये पुरस्कार स्वरूप शील्ड प्रदान की गई।

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL